

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **पंचायत समिति धूल**

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

मौ. शुशी

बनाम

राजस्थान सरकार

दावा बाबत **1/2022 नाग दुबाली अन्तर्गत धरा 88 RTM**

मुकदमा नम्बर :- **119/2022**

निर्णय दिनांक :- **10.06.22**

वादी की ओर से **स्वयंवादी** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **10.06.22** को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वीकार किया जाकर रोही राग दाणी लालसिंह पुरा खाता नं. 19 खं. नं. 1130/333, 1131/333, 1132/333, 334, 457, 458 शुशी मोहम्मद पुत्र अकबर हुसैन के स्थान पर मौ. शुशी पुत्र अकबर हुसैन कितने जाने की घोषणा की जाती है। नटलीलपार धूल इलाक़ा में राजस्थान शासित क्षेत्र में अमल दरागु और वादी के कितने धूल के कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होगे या साकारी बर्बादी की स्थिति में स्व नाम मा.यु. बेगा खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **10.06.22** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़



पुष्टि